# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—73 / 2021 (2021 / 192) वाद पत्र

**अनवान**

1. जगदीशचन्द्र पुत्र बद्रीलाल नाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बद्री पुत्र नाथु नाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सांवरमल पुत्र बद्रीलाल नाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. प्यारचन्द पिता कालु बैरवा निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामचन्द्र पिता श्रीराम बैरवा, निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. सुनिल बापना — वादी अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांकः—05.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदार अधिकार की आराजी संख्या 3073 रकबा 0.26 है0 भूमि स्थित है जो जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में वादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण उक्त आराजी संख्या 3073 रकबा 0.26 है0 पर दिनांक 20.06.2020 को प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर लिया इस पर वादीगण ने उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 व 128 भू—राजस्व दिनांक 29 / 06 / 2020 को पेश किया जो दिनांक 03 / 09 / 2020 को स्वीकार हुआ। जिस पर भू—अभिलेख निरीक्षक ने बसामलात ग्राम के मोतबिरान को साथ लेकर प्रतिवादिगण की उपस्थिति में मुस्तकिल निशान को आधार बनाकर नपती शुरू की एवं जमीन को नापकर पत्थर लगवाये गये, जिसे प्रतिवादिगण ने हटा दिये और वादीगण की जमीन पर से अपना अनाधिकृत आधिपत्य नहीं हटाया। जबकि वादीगण के खातेदारी अधिकार की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को न तो अनाधिकृत कब्जा करने का अधिकार है और न रखने का ही फिर भी प्रतिवादीगण मनमाना तौर पर दादागिरी व भूजबल के आधार पर व संख्या में अधिक होने से वादीगण द्वारा कराई गई पत्थरगढ़ी के दौरान भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा नसब कराये गये पत्थरों को जो कि सीमा चिन्ह थे को कानून को हाथ में लेकर पत्थर हटा दिये तथा वादीगण को कब्जा सिपूर्द करने बाबत भी मना कर दिया जबकि उनको वादीगण की खातेदारी की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा कि वे वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार की जमीन आराजी संख्या 3073 रकबा 0.26 हेक्टेयर का कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर दें और अन्तिम बार दिनांक 2[illegible]8 / 2021 को कहा परन्तु प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिससे वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। अतः बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण, वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 3073 रकबा 0.26 है0 से प्रतिवादीगणो को बेदखल कराया जाकर वादीगण के पक्ष में कब्जेयापी की डिकी सादिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:41 IST
Reason: SelfAttested

फरमाई जावे, चूंकि प्रतिवादीगण ने वादीगण की 0.26 है0 बेशकिमती जमीन पर अनाधिकृत आधिपत्य कर रखा है उनका आधिपत्य हटाया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त कराई जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द नही करे, भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करें एवं उक्त आराजी में खड़े वृक्षो की उर्वरा शक्ति को नष्ट नही करें एवं वृक्षो को नही काटे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिकार पत्र पेश किया और निर्धारित समया अवधि में जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब प्रतिवादी का बन्द किया गया। अधिवक्ता की ओर से भी कोई आपत्ति नही की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी अधिवक्ता की ओर से ब्रदी पुत्र नाथु नाई के बयान कराये गये और अन्त में वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण खातेदार काश्तकार है और दिनांक 18.06.2021 को पत्थरगढ़ी के दौरान विपक्षीगण का कब्जा पाया गया विपक्षीगण का कोई अधिकार नही है। अतः वाद स्वीकार कर कब्जा दिलाने की डिक्री फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार वादीगण ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 3073 रकबा 0.26 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसके द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराने पर उक्त आरायिजात पर प्रतिवादीगण का अवैधानिक कब्जा पाया गया और मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थर नसब करवाये गये। प्रतिवादीगण का वादवर्णित भूमि से कोई सरोकार सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी अपनी दादागिरी और भुजबल के आधार पर वादीगण की भूमि पर कब्जा कर रखा है जो अवैधानिक है। अवैधानिक कब्जे को हटाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 92क, 179, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 3073 रकबा 0.26 है0 भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। इसी के साथ बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द नही करे एवं उक्त आराजी में खड़े वृक्षो को नही काटे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:41 IST
Reason: SelfAttested

05/05/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–73/2021 (2021/192) वाद पत्र

**अनवान**

1. जगदीशचन्द्र पुत्र बद्रीलाल नाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बद्री पुत्र नाथु नाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सांवरमल पुत्र बद्रीलाल नाई निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. प्यारचन्द पिता कालु बैरवा निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामचन्द्र पिता श्रीराम बैरवा, निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 92क, 179, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 3073 रकबा 0.26 है0 भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। इसी के साथ बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द नही करे एवं उक्त आराजी में खड़े वृक्षो को नही काटे।

डिक्री आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर सुनायी गयी।

05/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:41 IST
Reason: SelfAttested